न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/139/2013

उनवान

1. लियाकत अली आत्मज लाल मोहम्मद मुसलमान निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. महेश चन्द्र व्यास पुत्र रामसुख व्यास, निवासी मकान नम्बर 01 गांधीपुरी, शाहपुरा मृतक के बजायः—
   1/1 श्रीमती उमा व्यास पत्नी व0 महेश चन्द्र व्यास,
   1/2 अनिल व्यास पुत्र स्व0 महेश चन्द्र व्यास,
   1/3 अखिल व्यास पुत्र स्व0. महेश चन्द्र व्यास,
   1/4 अतुल व्यास, पुत्र स0 महेश चन्द्र व्यास,
   1/5 श्रीमती अदिती व्यास पुत्री स्व0 महेश चन्द्र व्यास पत्नी सुरेश व्यास, सभी निवासियान शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. काना पिता भूरा गाडरी मृतक के बजाय :—
   2/1 श्रीमती गौरी पत्नी काना गाडरी,
   2/2 घीसी पुत्री काना गाडरी,
   2/3 श्रीमती मांगी पुत्री काना काडरी,
   2/4 श्रीमती धन्नी पुत्री काना गाडरी,
   2/5 भैरू पुत्र काना गाडरी,
   2/6 श्रीमती आशा पत्नी सोहन गाडरी,
   2/7 रघुनाथ पिता सोहन गाडरी नाबालिग बबिलायत जरिये माता श्रीमती आशा पत्नी सोहन गाडरी
   2/8 शंकर पिता सोहन गाडरी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2/9 धर्मराज पिता सोहन गाडरी नाबालिग बबिलायत बगला का खेडा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

3. लाला पिता भूरा गाडरी निवासी बगला का खेडा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. केला पिता भूरा गाडरी निवासी बगला का खेडा मृतक के बजाय:—

4/1 नन्दू पुत्र केला गाडरी निवासी बगला का खेडा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

5. दलीचन्द पिता भूरा गाडरी निवासी बगला का खेडा बनेडा मृतक के बजाय :—

5/1 लादू पुत्र दलीचन्द गाडरी,
5/2 श्रीमती कमला पुत्री दलीचन्द गाडरी
5/3 श्रीमती चांदू पत्नी स्व0 दलीचन्द गाडरी निवासी बगला का खेडा बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के
प्रकरण संख्या 8/2012 निर्णय दिनांक 14.6.2013

अधिवक्तागण :—

1. राकेश सुराणा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री रामपाल शर्मा ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 6.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 महेश चन्द्र/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा किशनपुरिया पटवार मण्डल बबराणा तहसील बनेडा में स्थित आराजी नम्बर 34, 35, 36, एवं 37 कीता 4 कुल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 7.00 बीघा प्रार्थी के हक अधिकार की होकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने–जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी विपक्षीगणों की आराजी में से होकर आता आता रहा है परन्तु वर्तमान में अप्रार्थीगण ने रास्ता बन्द कर दिया है। अतः विपक्षीगणों की आराजी नम्बर 47, 50, 51, 54 के मेर के सहारे–सहारे रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 क की उप धारा 1 के तहत रेस्पेडेण्ट ख्या 2 से 6 व अपीलार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का बबराणा तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 34, 35, 36 एवं 37 किता 4 कुल रकबा 7 प्रार्थी के नाम दर्ज होने एवं उक्त आराजी पर आने–जाने हेतु अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 की आराजी संख्या 47, 50, 51, 54 के मेर के सहारे–सहारे 20 फीट रास्ता कायम कराया जाने का निवेदन किा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये । प्रार्थना पत्र की प्रोपर तामीलें हुए बिना व बिना सुने दिनांक 14.6.2013 को आदेश पारित किया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध होने पर अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं कथन अंकित किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी की आराजी में आने जाने के लिए अपीलाण्ट की आराजी में कोई रास्ता नही है। यह भी निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1/अपीलाण्ट की आराजी तक पहूँचने के लिए रेकार्डेड रास्ता अलग से है जो ग्राम किशनपुरिया की फाटक से होकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की आराजी तक जाता है एवं दूसरा रास्ता आमली रोड से होते हुए खातियों के खेत के पास होते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी की आराजी नम्बर 34, 35, 36 एवं 37 पर आने जाने का रास्ता उपलब्ध है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया बिना मनमसूद तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी के पिता का नाम इंसाफ अली अंकित किया है जबकि इंसाफ अली अपीलार्थी का भाई है। अपीलार्थी के पिता का नाम लाल मोहम्मद है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या द्वारा आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र पेश किया और कायम मुकाम बनाये गये उन कायम मुकाम की तामीलें कराये बिना ही मात्र अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट लाला की तामीलें होने के उपरान्त पत्रावली में जवाब हेतु निवेदन किया जिस पर तीन दिन का समय दिया गया । अपीलार्थी के जवाब के पश्चात बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 14.6.2013 नियत थी । अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.6.2013 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थित हुआ तो पेशकार जी ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.6.2013 दी । तारीख पेशी दिनांक 21.6.2013 को अीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में गया तो पेशकार जी ने कहा कि साहब आयेंगे तब मैं तारीख दे दूंगा। बाद में पता कर लेना। दिनांक 28.6.2013 को अपीलार्थी तहसील में किसी अन्य काम से गया और पता किया तो पता चला कि प्रकरण में दिनांक 14.6.2013 को आदेश सुना दिया गया । इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज किया जावे।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ग्राम किशनपुरिया स्थित आराजी नम्बर 34 से 37 पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । जिस पर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट रास्ते बाबत मंगवाई गई। प्रत्यर्थी के पास अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 25.5.2012 को पेश हुआ । जिस पर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 10.5.2013 तक प्रकरण में 5 बार पेशीयॉ नियत की गई। दिनांक 10.5.2013 को विपक्षी की ओर से इंसाफ अली उपस्थित हुआ जिसने लिखित जवाब अधिवक्ता से तैयार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर पेश करने का निवेदन किया । जिस पर तीन दिन का समय दिया गया एवं मौका रिपोर्ट डी एल सी दर एवं अन्य संबंधित रेकार्ड एवं दस्तावेज पेश करने हेतु पटवारी हल्का को लिखा गया । जिस पर पटवारी हल्का ने रिपोर्ट तैयार की । अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । जबकि प्रकरण में अपीलार्थी/विपक्षी की ओर से इंसाफ अलीं उपस्थित हुआ एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को रेकार्ड पर लेने के उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति अपीलार्थी का यह कहना कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है उचित प्रतीत नहीं होता है।

10. प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अपनी ग्राम किशनपुरिया स्थित आराजी नम्बर 34 लगायत 37 तक पहूँचने के लिए इसी ग्राम की आराजी नम्बर 47, 50, 51, व 54 के सहारे होते हुए रास्ता कायम की मांग की गई। पटवारी हल्का ने आराजी नम्बर 47 जो कि लियाकत अली, इंसाफ अली पुत्र लाल मोहम्मद हमीदा बानू, गुलबदन, खुर्शीदा बानू पुत्री लाल मोहम्मद शोकत अली पिता लाल मोहम्मद मुसलमान के नाम दर्ज होना एवं उसका रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा होना जिसमें से 0.04 बीघा भूमि रास्ते के रूप में एवं आराजी नम्बर 50, 51, 54 के खातेदार काना, केला, दलीचन्द, लाला पिता भूरा गाडरी की आराजी होना जिसका रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा होने का कथन किया साथ ही नोट अंकित किया कि खातेदार काना, केला, दलीचन्द पिता भूरा गाडरी तीनों की मृत्यु हो चुकी है। पेरा नम्बर दो में विकल्प के रूप में चरागाह आराजी नम्बर 55 होना बताया परन्तु नियमों के तहत वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं किया जाना बताते हुए आराजी नम्बर 47 एवं 49 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा जो कि लियाकत अली, इंसाफ अली पुत्र लाल मोहम्मद हमीदा बानू, गुलबदन, खुर्शीदा बानू पुत्री लाल मोहम्मद शोकत अली पिता लाल मोहम्मद मुसलमान के नाम दर्ज होना एवं रास्ते के रूप में आराजी नम्बर 47 में से 4 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 49 में से 2 बिस्वा कुल 06 बिस्वा रास्ते के रूप में दिया जाना तथा उक्त रास्ता आराजी नम्बर 47 व 49 के दक्षिणी मेड के सहारे साढे सोलह फीट का रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया ।

11. प्रकरण में जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी द्वारा 20 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई। परन्तु प्रार्थी को भी रास्ता दिया जावे एवं विपक्षीगण की भूमि भी कम से कम उपयोग में ली जावे इस बात का ध्यान रखकर प्रस्ताव तैयार किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के प्रस्ताव अनुसार रास्ता कायम किया जाने एवं आराजी नम्बर 47 व 49 के वर्तमान खातेदार के पक्ष में तहसीलदार बनेडा के यहॉ रास्ते के रूप में आने वाली भूमि रकबा 0.06 बिस्वा की डी एल सी दर की दुगुनी राशि राजकोष/अप्रार्थीगण को अदायगी करने का निर्देश प्रदान किया । जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। ।

12. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.6.2013 को यथावत रखा जाता है।

13. निर्णय आज दिनांक 6.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

6/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा